"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70] रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 मार्च 2010—चैत्र 1, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 22 मार्च, 2010 (चैत्र 1, 1932)

क्रमांक-3942/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010), जो दिनांक 22 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है.

(दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(तीन) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4-द का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 4-द की उपधारा (1) में, शब्द "आबकारी आयुक्त" के स्थान पर शब्द "संभागीय राजस्व आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए.

उक्त अधिनियम में संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, जहां कहीं शब्द "केबल" आया है उसके स्थान पर शब्द "केबल/डी.टी.एच. (डायरेक्ट टू होम)" प्रतिस्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. छत्तीसगढ़ राज्य शासन का प्रस्ताव है कि डी.टी.एच. (डायरेक्ट टू होम) सेवा को मनोरंजन कर की परिधि में लाया जाए.

2. चूंकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा "राजस्व संभाग" का पुनर्गठन किया गया है तथा राज्य में संभाग स्तर पर "संभागीय राजस्व आयुक्त" की पदस्थापना की गई है. अत: अब छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 4-द की उपधारा (1) के अन्तर्गत "आबकारी आयुक्त" को प्रदत्त शक्तियां "संभागीय राजस्व आयुक्त" को प्रत्यायोजित किया जाना अब संभव है.

3. अत: यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

तारीख 4 मार्च, 2010

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 4-द की उपधारा (1) के प्रावधान निम्नानुसार हैं :—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 4-द अपील — (1) धारा 4-स के अंतर्गत दिये गये आदेश से त्रस्त कोई स्वामी, ऐसी अवधि के अंदर जो विहित की जाय संबंधित आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और ऐसी अपील पर आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा.

(1-क) उपधारा (1) के अधीन शुल्क या कर के निर्धारण तथा शास्ति के आदेश के विरुद्ध अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि—

(एक) नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट रकम के लिये, शुल्क या कर तथा शास्ति का निक्षेप उस अनुपात में न कर दिया गया हो जो सारणी के कालम (2) की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है—

सारणी

रकम (1)	शुल्क या कर तथा शास्ति का अनुपात (2)
जहां शुल्क या कर तथा शास्ति की रकम एक हजार रुपये से अधिक न हो.	शुल्क या कर तथा शास्ति की पूरी रकम
जहां शुल्क या कर तथा शास्ति की रकम एक हजार रुपये से अधिक हो.	एक हजार रुपये या शुल्क या कर तथा शास्ति की रकम का एक-तिहाई, इनमें से जो भी उच्चतर हो.

(दो) ऐसे निक्षेप का दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ फाइल न कर दिया गया हो.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-2 (ककककक) "केबल आपरेटर" "केबल सेवा" (केबल सर्विस) "केबल टेलीविजन नेटवर्क" और "अभिदाता" (सब्सक्राइबर) का वही अर्थ होगा जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1995 (1995 का सं. 7) में उनके लिये दिया गया है,

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-3 सिनेमा के मालिक द्वारा देय मनोरंजन शुल्क— (1) विडियो कैसेट रिकार्डर (जो इसमें इसके पश्चात् वी.सी.आर. के नाम से निर्दिष्ट है) या विडियो कैसेट प्लेयर (जो इसमें इसके पश्चात् वी.सी.पी. के नाम से निर्दिष्ट है) या किसी केबल ऑपरेटर द्वारा मनोरंजन से भिन्न किसी मनोरंजन के प्रत्येक मालिक द्वारा मनोरंजन में प्रवेश के लिये प्रत्येक भुगतान के संबंध में, राज्य सरकार को उस भुगतान के तीस प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान करेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-3 ख केबल ऑपरेटर द्वारा देय मनोरंजन शुल्क— (1) धारा 3 या धारा 3-क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक केबल ऑपरेटर जो ऐसी सेवा के, उन अभिदाताओं को, जो होटल के कमरों या बासा के स्वामी या अधिभोगी नहीं हैं, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जनसंख्या वाले किसी स्थान या शहर में केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराता है, वह राज्य सरकार

को, नीचे विनिर्दिष्ट दर से प्रतिमास शुल्क भुगतान करेगा.

सारणी

अ. क्र.	जनसंख्या	प्रति केबल कनेक्शन प्रतिमाह मनोरंजन शुल्क की दर
1.	1 से 10,000 तक	निरंक
2.	10,001 से 50,000 तक	रुपये 10/-
3.	50,000 से अधिक	रुपये 20/-

(2) अपने स्वयं की या केबल ऑपरेटर के माध्यम से अभिप्राप्त की गई केबल सेवा के माध्यम से किसी होटल या बासा के कमरों में मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक होटल या बासा का मालिक, यथास्थिति, उस होटल या बासा में जिसमें केबल सेवा उपलब्ध कराई गई है, कमरों की संख्या पर आधारित और नीचे दी गई सारणी के क्रमश: कॉलम (2) तथा (3) के यथा उल्लिखित कमरों के अधिभोग के लिए प्रभारित कमरे के किराया के औसत पर आधारित शुल्क की एक समेकित रकम उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट दर से, प्रतिमास, राज्य सरकार को भुगतान करेगा—

सारणी

अ. क्र.	उस होटल या बासा में जिसमें केबल सेवा उपलब्ध की गई है,	कमी के किराये को औसत प्रभार (प्रतिदिन रुपयों में)	समेकित शुल्क की दर प्रतिमास (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	20 कमरों तक	200 तक	500
		201 से 500 तक	750
		501 से 1000 तक	1000
		1000 से अधिक	1500
2.	20 से अधिक कमरे	200 तक	750
		201 से 500 तक	1000
		501 से 1000 तक	1500
		1000 से अधिक	2000

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपरोक्त सारणी में दर्शाई गई समेकित शुल्क की रकम में वृद्धि ऐसे अंतराल पर कर सकेगी जो दो वर्ष से कम न हो और जहां दर में वृद्धि की जाती है, वहां उपर्युक्त सारणी में दर्शाई गई दर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त परन्तुक के अधीन प्रत्येक अधिसूचना उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी और मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 24-क के उपबंध उसको उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी नियम को लागू होते हैं.

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन देय शुल्क ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को और ऐसी रीति में भुगतान किया जाएगा या उसके द्वारा संग्रहित या वसूल किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए.

(4) केबल ऑपरेटर तथा किसी होटल या बासा का मालिक, उस मास के आगामी मास में जिसमें कि वह अपने केबल टेलीविजन नेटवर्क से अभिदाताओं को केबल सेवा उपलब्ध कराना बंद कर देता है, उपधारा (1) तथा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समेकित मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने का दायी नहीं होगा, बशर्ते वह इसके बारे में ऐसे अधिकारों को ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए तुरन्त सूचित कर दे.

* * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.